



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127417

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 5670 वर्ष 2026

तरुण एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुनील कुमार तिवारी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. सह-आरोपी श्रीमती रेखा के जमानत आदेश की एक प्रति आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार तिवारी को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन, आवेदकगण तरुण एवं सचिन की ओर से, मुकदमा अपराध संख्या 0314 सन् 2025, धारा 191(2), 118(1), 115(2), 351(2), 351(3), 352, 131 एवं 109(1) बी.एन.एस., 2023, थाना- खरखौदा, जनपद मेरठ में, उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आवेदकों और पांच अन्य लोगों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को 18.12.2025 की प्राथमिकी में नामित किया गया था और सभी आरोपियों के खिलाफ हमले की एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। हालांकि, जांच के दौरान जब घायल गजेंद्र का बयान दर्ज किया गया, तो उसने सह-आरोपी मनोज, निखिल, तनिष्क और रेखा को चोट पहुंचाने की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया। घायलों के बयान में आवेदकों की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक जांच और परीक्षण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि, यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेंगे। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी श्रीमती रेखा को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या 2467/2026 के तहत पारित दिनांक 23.03.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत पर पहले ही रिहा किया जा चुका है। आवेदक का प्रकरण उपरोक्त सह-अभियुक्त के प्रकरण की तुलना में अधिक बेहतर स्तर पर है। इसके अलावा, घायल सहित आरोपी पक्ष और सूचनाकर्ता ने समझौता कर लिया है और 24.02.2026 को एक समझौता विलेख को हलफनामे में अनुलग्नक संख्या 17 के रूप में जोड़ा गया है।

5. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है, हालांकि, वह तथ्यात्मक पहलू पर विवाद नहीं करता है।

6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर अग्रिम जमानत देने के लिए एक प्रकरण बनाया है।

7. तदनुसार, अग्रिम जमानत आवेदन को निम्नलिखित निर्देशों के साथ **अनुमति** दी जाती है: -

(i) उपर्युक्त वाद में सम्मिलित आवेदकगण **तरुण एवं सचिन** को विचारण की समाप्ति तक, सक्षम न्यायालय के समक्ष, ₹50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभुओं के बंधपत्र, संबंधित थाना प्रभारी की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर, अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा और विवेचना करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक होने पर जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

8. किसी भी शर्त के चूक या दुरुपयोग में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है।

15 जून 2026

कीर्ति

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)